


दिल्ली विकास प्राधिकरण
[वित्त एवं व्यय]

सं. एफई.16(35)2009/ डीडीए/ 383

दिनांक: 6.6.2013

एफ एंड ई परिपत्र सं. 11/2013

प्राधिकरण के दिनांक 25.02.1967 के संकल्प संख्या 208 के तहत उपाध्यक्ष, डीडीए में निहित शक्तियों का प्रयोग करके उपाध्यक्ष, डीडीए अधिग्रहित की जाने वाली/ की जा रही भूमि की फोटोग्राफी तथा विडियोग्राफी करने और यथावश्यक डीडीए के साइन बोर्ड लगाने के लिए 1.00 लाख तक के व्यय के लिए वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित करते हैं। इन शक्तियों का प्रयोग विवेकपूर्ण तथा औचित्यपूर्ण किया जाएगा। प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते समय अधिकारी का उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही मितव्ययिता सुनिश्चित करने की तथा यह सुनिश्चित करने की होगी कि भूमि की फोटोग्राफी तथा विडियोग्राफी आदि पर व्यय करते समय सभी नियमों एवं विनियमों की पूर्ति की गई हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित व्यय में से पूर्ति के लिए बजट प्रावधान मौजूद हों तथा जीएफआर एवं अन्य सरकारी आदेशों में समय-समय पर किए गए प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।



[मनीष कुमार]

मुख्य लेखा अधिकारी


सं. एफई.16(35)2009/डीडीए/385

दिनांक: 6.6.2013

प्रतिलिपि:-

1. पत्र की सूचना के लिए विशेष कार्याधिकारी, उपाध्यक्ष, डीडीए;
2. निजी सचिव, एफएम, ईएम, पीसी, डीडीए;
3. मुख्य सतर्कता अधिकारी /सीएलए, डीडीए;
4. सभी आयुक्त/आयुक्त-सह-सचिव, डीडीए;
5. सभी मुख्य अभियंता;
6. निदेशक (वित्त)/आई.ए./ निदेशक (नजारत);
7. उप मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्यालय)-I, II तथा III

8. एओ (आकस्मिकता);
9. गार्ड फाइल/ ईओ पुस्तक।
10. केवल हिंदी अनुवाद हेतु हिंदी अधिकारी।



4.6.13

लेखा अधिकारी [एफ एंड ई]
दिल्ली विकास प्राधिकरण